

कार्यालय जिला पंचायत, हरदोई

पत्रांक: 426 / सा0नि0लि0 / 2011-12

दिनांक : 4/12/11

अल्प कालिक निविदा सूचना

सर्वसाधारण एवं जिला पंचायत, हरदोई के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत, हरदोई के निर्माण कार्यों के मुहर बन्द टेण्डर दिनांक ~~24-12-11~~ को समय 03.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आमंत्रित किये जाते हैं। जो उक्त तिथि को सायंकाल 3.30 बजे ठेकेदारों की उपस्थिति में खोले जायेंगे। निविदा प्रपत्र निविदा सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से ~~24-12-11~~ समय 11.00 बजे तक निर्धारित मूल्य जमा करके क्रय किये जा सकते हैं विस्तृत जानकारी किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय से की जा सकती है। उक्त विज्ञप्ति जिला सूचना विज्ञान केन्द्र, हरदोई की वेबसाइट www.hardoi.nic.in पर भी उपलब्ध है :-

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर धनराशि	निविदा मूल्य	कार्य की अवधि
1	ग्राम जलिहापुर में समुखा मार्ग पर लेपन कार्य	29.75	59500	225	3 माह
2	ग्राम समुखा में गाँव के अन्दर सम्पर्क मार्ग से गाँव के बाहरी तरफ श्री हरीश्याम पुत्र श्री राजाराम के घर होते हुए राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय तक सी0सी0 रोड	13.00	26000	225	3 माह
3	हरदोई पिहानी मार्ग ब्लाक हरियावों मार्ग पर लेपन कार्य।	15.00	30000	225	3 माह

शर्तें

1. निविदा में दर्शित मात्रा अनुमानित है, जो आवश्यकतानुसार घट बढ़ सकती है।
2. अनुबन्ध हेतु ठेकेदारों को स्टैम्प एक्ट के अनुसार स्टाम्प जमा करना अनिवार्य होगा।
3. प्रत्येक निविदा के साथ जमानत के रूप में 2 प्रतिशत बयाने की धनराशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0, पोस्ट आफिस की पास बुक, राष्ट्रीय बचत पत्र जो अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, हरदोई के नाम बन्धक हो, साथ में संलग्न करें। तत्पश्चात् प्राप्त टेण्डरों पर विचार किया जा सकता है।
4. अन्य विस्तृत शर्तें कार्यालय जिला पंचायत में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।
5. शासनादेश सं० 2057/23-7-09-25(सा)/09 दिनांक 30 जून, 2009 के अनुसार अनुसूचित जाति / जनजाति के पंजीकृत ठेकेदारों के लिए कार्य आरक्षित रहेंगे।


अधियन्ता
जिला पंचायत, हरदोई।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, हरदोई।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि:-

1. जिला पंचायत हरदोई के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचनार्थ।
2. जनपद के समस्त विभागाध्यक्षों को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
3. जिला पंचायत, हरदोई के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि वे कृपया माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.07.2006 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या 5748/33-2-2006-190 जी0/2006 दिनांक 17.11.2006 के अनुसार उक्त सूचना को वेबसाइट पर डाउनलोड करने का कष्ट करें।
5. विज्ञापन व्यवस्थापक, ~~राज. अ. अ. अ.~~ को इस आशय से कि उपरोक्त सूचना का प्रकाशन अपने आगामी अंक में शासकीय दर पर प्रकाशित कर समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
6. विज्ञापन व्यवस्थापक, कृष्ण उजाला, हरदोई को इस आशय से कि उपरोक्त सूचना का प्रकाशन अपने आगामी अंक में रु० 700 के अन्तर्गत प्रकाशित कर समाचार की दो प्रतियां सहित बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।


अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, हरदोई।